# निविदा प्रपत्र

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के धान उपार्जन के कार्य हेतु एवं पूर्व में स्वीकृत कार्यशील पूंजी के विरूद्ध ब्याज की देयता को कम करने, उच्च ब्याज दर के ऋण से प्रतिस्थापन्न करने के उद्देश्य से शासकीय प्रत्याभूति के बिना अतिरिक्त ऋण राशि ₹ 10,000.00 करोड़ (अक्षरी – दस हजार करोड़ मात्र) की साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण सुविधा के प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित शेड्यूल कमर्शियल बैंको की सूची ''A'' तथा "B" तथा वित्तीय संस्थाओं से निम्नानुसार शर्तो के अन्तर्गत प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

1. छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ हेतु न्यूनतम प्रस्ताव राशि ₹ 300.00 करोड़ (अक्षरी– तीन सौ करोड़ मात्र) का होगा।

2. प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना होगा कि वर्तमान में स्वीकृत साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण/पूंजी ऋण के विरूद्ध यह प्रस्ताव दिया गया है अथवा पूर्व में स्वीकृत ऋण के अतिरिक्त यह प्रस्ताव दिया गया है।

3. साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण की सिक्योरिटी विपणन संघ हेतु उपार्जित धान/सी.एम.आर. चावल का स्टाक एवं बिल्स रिसीवेबल का हाइपोथिकेशन से किया जा सकेगा।

4. साख–सीमा सुविधा तथा इसके विरूद्व सिक्योरिटी हेतु मार्जिन राशि शून्य रहेगी।

5. प्रोसेसिंग एवं दस्तावेज शुल्क शून्य रहेगी। उपार्जित धान की मात्रा व आवश्यकतानुसार राशि का आहरण न्यूनतम ब्याज दर के आधार पर किया जावेगा।

6. स्वीकृत साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण पर दण्ड ब्याज अधिकतम 2% मान्य किया जावेगा। राज्य शासन द्वारा घोषित अवकाश अथवा बैंक अवकाश/रविवार अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर भुगतान करने की स्थिति में कोई दण्ड ब्याज मान्य नहीं किया जावेगा।
7. प्रस्तावित की गई ब्याज दर फ्लोटिंग दर/एम.सी.एल.आर./रेपो दर (न्यूनतम 01 माह के दर) के लिए ही प्रस्तुत की जावे। ब्याज रिसेट तथा बैंको द्वारा WCDL का प्रस्ताव दिये जाने की स्थिति में कैश क्रेडिट से भुगतान की सुविधा होनी चाहिए। फ्लोटिंग दर/एम.सी. एल.आर./रेपो दर के उपर अधिक्तम 0.10% तक स्प्रेड मान्य होगा। इसके उपर कोई स्प्रेड मान्य नहीं होगा।
8. बैंको/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरें राज्य शासन की प्रत्याभूति के बिना दी जावें।
9. निविदाकर्ता बैंक की शाखा, रायपुर, छत्तीसगढ़ में होना अनिवार्य है।
10. साख–सीमा सुविधा स्वीकृति दिनांक से कम से कम 01 वर्ष की अवधि हेतु उपलब्ध करायी जावे। विपणन संघ द्वारा राशि की उपलब्धता के आधार पर समय पूर्व भुगतान अथवा भुगतान हेतु निर्धारित समयावधि में वृद्धि, जैसी भी स्थिति हो, उपयोग किया जावेगा।

**क्रमश...2**

11. प्रस्ताव स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 07 दिवस की सीमा में साख–सीमा सुविधा आहरण हेतु उपलब्ध कराना होगा।

12. साख–सीमा सुविधा के विरूद्ध वास्तविक आहरण की तिथि से ही ब्याज देय होगा।

13. ऋण पुनर्भुगतान हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व भी भुगतान किया जा सकेगा तथा समयावधि के पूर्व भुगतान करने पर विपणन संघ द्वारा कोई दांडिक ब्याज देय नहीं होगा, एवं भुगतान करने की तिथि तक ही वास्तविक ब्याज की राशि भुगतान की जा सकेगी। संघ पर किसी भी समय में बैंकों द्वारा स्वीकृत साख–सीमा का पूर्ण उपयोग किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा।

14. निविदा शर्तो के रूप में दिये गये ऑफर के विरूद्ध निर्धारित की गई ब्याज दर में परिवर्तन सिर्फ एम.सी.एल.आर./रेपो दर के परिवर्तन की स्थिति में हो सकेगा।

15. जिन बैंकों के ऑफर स्वीकृत किये जायेंगे, उन्हें अनुबंध पत्र में ऑफर शर्तो में उल्लेखित शर्तों को सम्मिलित कर तैयार किये गए अनुबंध पत्र में अनुबंध का निष्पादन 05 दिवस के भीतर करना होगा ।

16. विपणन संघ का वित्तीय वर्ष 2023–24 तक उपलब्ध अंकेक्षित वित्तीय पत्रक के आधार पर ही साख–सीमा/टर्म लोन ऋण उपलब्ध कराना होगा।

17. बैंको/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त ब्याज दर के आधार पर एवं आवश्यकतानुसार निगोशियेशन के पश्चात् प्रस्ताव पर निर्णय लिया जावेगा। प्राप्त प्रस्ताव को मान्य/अमान्य करने का अधिकार राज्य स्तरीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा ।

उपरोक्त साख–सीमा उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित शेड्यूल्ड कामर्शियल बैंकों की सूची 'A' एवं 'B' अनुसार)/वित्तीय संस्थान अपने लेटर हेड पर प्रस्ताव प्रत्येक संस्था हेतु पृथक–पृथक सील बंद लिफाफे में दिनांक 27/12/2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, छठवीं मंजिल, टावर ''सी'' कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सीबीडी, सेक्टर 21, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड 492002 में जमा कर सकेंगे।

संपर्क–

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, छठवीं मंजिल, टॉवर ''सी''
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी.. सेक्टर–21 नवा रायपुर अटल नगर,
जिला रायपुर 492002
दूरभाष क्रमांक–0771.2425420/2425400
इ–मेल –mf_ctrlroom_raipur@gov.in

27/12/2024.

(रमेश कुमार शर्मा)
प्रबंध संचालक